'21वीं सदी में उच्च शिक्षा की चुनौतीयाँ' भविष्योंमुखी दृष्टि और उच्च शिक्षा

अनुज कुमार*

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुए हैं। परन्तु आज भी इसमें सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। 21वीं सदी में उच्च शिक्षा के समक्ष अनेक चुनौतीयाँ हैं जिनसे निपटना अत्यंत जरुरी है। इसके लिए हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियोजित शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को व्यवहार के धरातल पर लाकर कार्यक्रम देना होगा। एक ओर जहाँ उच्च शिक्षा की बढ़ती माँग की पूर्ति के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की सँख्या में वृद्धि करने की जरुरत है वहीं दूसरी ओर इसमें गुणात्मक सुधार लाने व इसे आवश्यकता आधारित बनाने की भी आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख में उच्च शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए भविष्य में भारत में उच्च शिक्षा के स्वरूप पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी की गई है।

सभ्यताओं के उद्‌भव काल से शिक्षा का अस्तित्व रहा है। शिक्षा के उद्देश्य में 'विद्याया विमुक्तये' अर्थात विद्या मुक्ति का मार्ग है कि अवधारणा रही है। यह मानव जीवन का प्रमुख अंग है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योग देती है। उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है। उसे अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है। उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है और उसके व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, देश और विश्व के लिए हितकर होता है। ऐडम्स के अनुसार—

> *"शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उस पर दूसरे व्यक्तित्व का मन, वाणी एवं कर्म के द्वारा प्रभाव पड़ता है।"*

**शिक्षक*, (सामान्य विज्ञान) जवाहर नवोदय विद्यालय, सिरमौर, रीवा (म.प्र.).

व्यापक अर्थों में यदि शिक्षा को परिभाषित किया जाए तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवनपर्यन्त चलती है। यह मात्र किसी शैक्षणिक संस्थान या पाठ्यक्रम से ही संबंधित नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षण का अनुभव है जिससे व्यक्ति सीखता है।

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर शैक्षिक संवाद आयोजित होते रहे हैं और परिणाम-स्वरूप इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए हैं। आज शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होने के साथ-साथ बहुआयामी भी हो गया है। यदि विशेष रूप से उच्च शिक्षा के संदर्भ में दृष्टिपात किया जाए तो यह किसी देश की ऐसी कड़ी है जिसके अभाव में किसी क्षेत्र में समुचित विकास के अच्छे सोपान नहीं गढ़े जा सकते हैं। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकारों, शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, नीति निर्माताओं और शैक्षिक बुद्धिजीवियों द्वारा इन बिखरी कड़ियों को सुलझाने के प्रयास किए जाते रहे हैं परंतु आज भी इनमें सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुच्छेदों में यह कहा गया है कि—

> *"शिक्षा इस समय भारत में चौराहे पर खड़ी है न क्षैतिज विस्तार और न ही सुधार की वर्तमान गति और प्रकृति स्थिति की अपेक्षाओं के अनुरूप है। 24 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उपरोक्त वाक्य आज की परिस्थिति के अनुरूप ही है।"*

ज्ञान को 21वीं सदी की प्रमुख प्रेरक शक्ति माना गया है। वैश्विक स्तर पर एक प्रतियोगी के रूप में उभरने की किसी देश की क्षमता मूलतः ज्ञान संसाधनों पर निर्भर करेगी। क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा बदलाव जरुरी है जो समूचे ज्ञान क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दे सकें—

- ज्ञान की सुलभता बढ़ाना।
- अनुसंधान, विकास और नवाचार संरचनाओं को नया रूप देना।
- बेहतर सेवाएँ उत्पन्न करने के लिए ज्ञान अनुप्रयोगों का लाभ उठाना।

भविष्योंमुखी दृष्टि एवं उच्च शिक्षा

आज 21वीं सदी में उच्च शिक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं जिनसे न निपटकर हम भावी पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर सकते और पीढ़ियाँ इसके लिए हमें उत्तरदायी ठहराएंगी।

आज पूरी दुनियाँ में शिक्षा को अनिवार्य और सशक्त बनाने के लिए नित नए प्रयोग हो रहे हैं। शिक्षा की प्रणाली एवं उसके स्वरूप में परिवर्तन किए जा रहे हैं। भूमंडलीकृत विश्व में विकसित और कारपोरेट देशों के द्वारा आर्थिक नीतियों को दृष्टिगत कर शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं परंतु विश्व प्रतिस्पर्धा से अलग आज तक अथक प्रयासों के बावजूद हमारी भारतीय शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा वह स्थान हासिल नहीं कर पाई है जिसकी हमें आज आवश्यकता है। भारतीय उच्च शिक्षा की चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से कई बार चर्चा होती है। शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों के क्रियान्वयन का या विचारों के स्तर पर आए बदलावों को यथार्थ में शैक्षिक संस्थानों में देखने का तो वहाँ सिर्फ एक ही जरिया सुनाई पड़ता है और वह है—शैक्षिक संवाद, संगोष्ठियाँ और सेमिनारों के आयोजन का, परंतु परिवर्तन कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता है।

किसी एक ही प्रकार की व्यवस्था में रहते-रहते और पुराने ढर्रे पर चलते-चलते एक जड़त्व की स्थिति आ जाती है जिससे हम बाहर नहीं आना चाहते हैं। परिवर्तनों की हवा चलती है। बाह्य बल के रूप में नए-नए विचार प्रयत्न करते हैं इस जड़त्व से निकलने का, परंतु यह व्यवस्था का दोष कहें या अभिप्रेरणा का अभाव जो परंपरा से हटकर नए सृजन नहीं करने देती है। भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक राजपदधारकों द्वारा शिक्षा को एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित रखा गया। औपनिवेशिक काल में आधुनिक शिक्षा के प्रयासों के तहत 1857 में बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। आजादी के समय तक भारत में विश्वविद्यालयों की कुल सँख्या 20 तथा महाविद्यालयों की कुल सँख्या 500 थी आज यह सँख्या काफी बढ़ चुकी है। जिसके आँकड़ें वर्तमान में इस प्रकार हैं—राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों की सँख्या को मिलाकर विश्वविद्यालयों की कुल सँख्या 367 तथा महाविद्यालयों की सँख्या 18064 है। जिसमें कुल नामाँकन लगभग 1.10 करोड़ है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्थापित 5 महिला विश्वविद्यालयों सहित मुक्त विश्वविद्यालयों की सँख्या 11 है। उच्च शिक्षा में नामाँकन वृद्धि दर 6.7% है। देश में विधि संस्थानों की सँख्या 750 है जिसमें कुल नामाँकन 3.36 लाख है, चिकित्सा शिक्षा के 2092 संस्थान हैं जिसमें 348485 नामाँकन है। इंजीनियरिंग के 1512 संस्थान हैं जिसमें कुल नामाँकन 7.95 लाख है। देश में प्रबंधन के 1100 संस्थान हैं जिनकी दाखिला क्षमता 92000 है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों की सँख्या 4.88 लाख है वहीं छात्र-अध्यापक अनुपात 18.1 है। आजादी प्राप्ति के बाद से आज तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि उल्लेखनीय सुधार हुए हैं परंतु यह भी सच है कि भारत में शिक्षा की कहानी कथनी और करनी, कामना और कर्म, प्रयास और परिणामों के बीच भारी अंतर की कहानी है।

उच्च शिक्षा का स्वरूप कैसा हो

21वीं सदी में उच्च शिक्षा की चुनौतियों से निपटने हेतु हमें भविष्य को दृष्टिगत कर नियोजित शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को व्यवहार के धरातल पर लाकर कार्य रूप देना होगा।

हम जिस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं उसी के अनुरूप हमारी शिक्षा प्रणाली भी होनी चाहिए। यह कहा जा सकता है कि वही देश जीवित रह सकता है जिसकी नजर भविष्य पर टिकी हो। हमारी भावी शिक्षा मानव समाज के शिक्षा निर्देश के लिए योग्यतम नायकों को जन्म दे सके यही हमारी शिक्षा का लक्ष्य एवं भविष्योन्मुखी दृष्टि होनी चाहिए। यद्यपि भारतीय शिक्षा के लक्ष्य महान हैं परंतु उनके साधनों की लघुता है। इन लक्ष्यों की महानता और साधनों की लघुता का खेल विगत कई पँचवर्षीय योजनाओं से दिख रहा है। आज की उच्च शिक्षा में नितांत मौलिक सुधारों की आवश्यकता को हम नजर अंदाज नहीं कर सकते।

हमारी शिक्षा व्यवस्था इस सुधार को महसूस तो करती है परंतु हमारे कदम प्रभावी क्यों नहीं हो पाते? यह शोध का विषय है। एक ऐसे समय जब शिक्षा सिर्फ बेहतर सामाजिक न्याय की ही

बात नहीं बल्कि आर्थिक विकास और संपदा सृजन के लिए भी महत्त्वपूर्ण बन गई है हम विलंब, स्थगन और असमंजस की स्थिति बरकरार नहीं रख सकते। परिस्थिति की माँग है स्पष्ट दिशा निर्देश एवं संकल्पयुक्त कार्य की। विगत दशकों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वाभाविक परिवर्तन यह आया है कि शिक्षा की जरुरत जो हमेशा रही है वह अब शिक्षा की माँग बन गई है। इस प्रक्रिया में आज वह भौतिक सामग्री (जींस) की तरह बनकर रह गई है। लेकिन प्राय: देखा यह जा रहा है कि जिस तंत्र पर इसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है वह एक बुनियादी ढाँचा, फार्म और विषयवस्तु में सिमटकर रह गई है। आज जनसामान्य की आकाँक्षा है कि उच्च शिक्षा की उपलब्धता सहज एवं गुणवत्ता बेहतर हो। आज भारत का एक वर्ग दुनिया के सुशिक्षित व्यक्ति से बेहतर है लेकिन मध्य एवं निम्न वर्ग के लोग इस तेजी से आधुनिक बन रहे विश्व से पीछे हैं। इस समय महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि समाज में ऐसी क्षमता निर्मित की जाए जिसकी सहायता से शिक्षा प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। हमें देखना है कि शिक्षा व्यवस्था से समाज में विषमताएँ न बढ़ें।

भविष्योंमुखी दृष्टिकोण एवं उच्च शिक्षा के संदर्भ में बिंदुवार चर्चाएँ—

- उच्च शिक्षा की बढ़ती माँग की पूर्ति हेतु आज आवश्यकता है शैक्षिक संस्थानों में वृद्धि करने की। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शासकीय और अशासकीय उच्च शैक्षिक संस्थाओं की सँख्या तथा नामाँकन अनुपात में पर्याप्त वृद्धि हुई है परंतु मानवीय कौशल एवं रोजगार आधारित डिग्रियों के कारण शैक्षिक अवसरों की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए यह अपर्याप्त है। इस दृष्टि से विदेशी विश्वविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों के आगमन एवं स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर भारत के विविध क्षेत्रों में उनके प्रसार की व्यवस्था करना।
- भारतीय उच्च शिक्षा की नीतियों एवं कार्य योजना के अंतर्गत वृहतर वृद्धि, समान वृद्धि, गुणवत्ता और श्रेष्ठता, प्रासंगिकता तथा मूल्य आधारित शिक्षा जैसे पाँच लक्ष्य सम्मिलित हैं। भविष्य की चुनौतियों से निपटने, मानव की योग्यताओं में वृद्धि करने तथा विद्यार्थियों को सृजनात्मक एवं परिवर्तनकारी बनाने हेतु उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है।

शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता के स्तर पर ही शैक्षिक उत्कर्ष का उद्देश्य सुनिश्चित होता है अर्थात शैक्षिक उपभोक्ता यथा विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय एवं नियोक्ता आदि की पूर्ण संतुष्टि का स्वरूप ही शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता का द्योतक है। शैक्षिक उत्पादों की उत्कृष्टता ही राष्ट्र के अन्य उत्पादों की उत्कृष्टता का आधारभूत घटक होती है। इसलिए राष्ट्र के शैक्षिक व्यय को निवेश की संज्ञा दी गई है। प्रो. ब्लाक मार्क ने अपनी पुस्तक *Investment to the Economics of Education* में लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगाया गया धन राष्ट्र को बहुआयामी प्रतिफल प्रदान करता है। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा का चलन

बढ़ा है। आज वही शैक्षिक संस्थान सार्थक व प्रासंगिक है। जो तथ्यपरक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लाभुकों की अपेक्षाओं को पूर्ण कर उन्हें अपनी सेवाओं से उच्च स्तर का संतोष प्रदान करें। गुणवत्ता प्रबंधन की प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण एक प्रमुख सोपान व तथ्यपरक कदम होता है जिस पर चलकर ही शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की धारणा को साकार रूप दिया जा सकता है। इस उद्देश्य से शैक्षिक सेवा क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण के आवश्यक वैद्यानिक संसाधनों की स्थापना भी की गई है। उदाहरणार्थ—भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से राष्ट्रीय मूल्याँकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक), दूरस्थ शिक्षा की दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डैक), तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ए.आई.सी.टी.ई. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एन.सी.टी.ई. आदि जैसे अनेक संस्थान उच्च शिक्षा के नियामक कहे जा सकते हैं। ये संस्थान अपने गुणवत्ता नियामक एवं प्रमाणन स्वभाव के अनुसार बहुत हद तक गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई.एस.ओ. मानक संस्थान भी शैक्षिक संस्थानों की संसाधनीय गुणवत्ता के संबंध में आश्वासन प्रदान कर गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण की प्रक्रिया को सबलता प्रदान कर रहे हैं। शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता के आधार पर रैंकिग प्रणाली का विकास हो गया है। भविष्य में यदि इन संसाधनों द्वारा वैश्विक आयाम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्षेत्रीय आयाम एवं बाजारीकरण की पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखकर गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण की अवधारणा को अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से 21वीं सदी में उच्च शिक्षा की चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसकी आज महती आवश्यकता भी है। इसके साथ ही उच्च शैक्षिक संस्थानों को अपने पुष्टि आश्वासन और शिक्षा की गुणवत्ता का 'आंतरिक यंत्र रचना' भी स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। बाह्य गुणवत्ता का निर्धारण आंतरिक गुणवत्ता के आधार पर करने की आवश्यकता है। विगत दिनों इन नियामक संस्थाओं में उच्च स्तर के भ्रष्टाचार प्रकाश में आए हैं। भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट एजेंसी का निर्माण इनकी पारदर्शी देख रेख के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परिणामात्मक रूप से भौतिक विशिष्टिताओं, आधारभूत शैक्षिक संरचना और मानवीय संसाधनों द्वारा उच्च स्तर का साक्ष्य मिलता है। आवश्यकता है आधारभूत शैक्षिक संरचना एवं मानवीय संसाधनों में निवेश कर अपेक्षित सुधार करने की। वर्तमान सरकार भी उच्च शिक्षा की चुनौतियों को स्वीकार कर शिक्षा के क्षेत्र में पहले की तुलना में अधिकाधिक निवेश कर रही है। 10वीं पँचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने कुल बजट का 7.7% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया है। वहीं ग्यारहवीं पँचवर्षीय योजना में यह राशि 11% की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सीमा क्षेत्र में अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को लाकर तथा उन्हें आधारभूत संरचनाओं जैसे—सूचना एवं संप्रेषण तकनीक को महत्त्व देने की नीति, इमारतों के निर्माण उपकरणों की खरीद, छात्रावास, पुस्तकालय, दैनिक वस्तुओं की उपलब्धता

आदि की व्यवस्था के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था एक लाभकारी कदम होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण तथा दक्षता संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर ई-संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी स्थान, काल एवं समय के बंधनों को तोड़कर अत्यंत तीव्रता से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, वायसमेल, ब्राडबैंड सर्विस, वीडियो कान्फ्रेसिंग, ई-मेल, सेटेलाइट टी.वी. के उपयोग से भूमंडलीय परिदृश्य सिमट चुका है। सूचना व संप्रेषण तकनीक के उपयोग से दूरवर्ती स्थानों पर भी अपनी बात सरलता से संप्रेषित की जा सकती है। इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग शिक्षा के सभी स्तरों पर किया जा सकता है। नेटवर्क, संसाधन, ऑनलाइन लर्निंग, रिकार्डो के डिजिटलीकरण, मल्टीमीडिया शोध केंन्द्र एवं आडियो वीडियो केंद्रों की स्थापना, विकास व इनके प्रसार से भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से संबद्ध कर गुणवत्ता पूर्ण बनाया जा सकता है।

- उच्च शिक्षा के संदर्भ में प्रजातांत्रिक मूल्यों और समाजवादी समाज की स्थापना जैसे हितों को ध्यान में रखकर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाए जाने की आज महती आवश्यकता है। न्यायसंगत सुधारों के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक व क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर उच्च शिक्षा की पहुँच को सहज और सुलभ बनाया जा सकता है। उच्च शिक्षा में नामाँकन दर के सर्वेक्षण से चार प्रकार की असमानताएँ उजागर होती हैं। आंतरिक राज्य, ग्राम, नगर, आंतरिक सामाजिक समुदाय, स्त्री-पुरुष तथा अमीर-गरीब। कई राज्यों में उच्च शिक्षा लाभार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग तथा लिंग संबंधी असमानता के अंतर्गत निम्न जाति से संबंधित महिलाओं तथा अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में मुसलमानों की निम्न शैक्षिक प्रस्थिति एक बड़ी बाधा है। इसके समाधान हेतु विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों, लड़कियों तथा सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक समुदायों के विकास हेतु योजनाएँ संचालित करनी चाहिए ताकि ग्राम, शहर, राज्यों, स्त्री-पुरुष, अंतर्राज्य के नामाँकन दर के अंतर को समान स्तर पर लाया जा सके।
- किसी देश विशेष की उच्च शिक्षा का लक्ष्य उस देश की सभ्यता, परंपरा, इतिहास, भूगोल व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से उच्च शिक्षा में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास की माँगों को पूरा करने की क्षमता हो, साथ ही वह कार्य अनुभव पर आधारित व्यवसायिक आधारों को दृष्टिगत कर देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सके। उच्च शिक्षा के विकास हेतु शिक्षा को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यावसायिक एवं रोजागरोन्मुख पाठ्यक्रम का विकास, कौशल विकास केंद्रों की स्थापना बाजार की आवश्यकता के अनुसार स्थापित

की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को महान विचारक बनाने और उनमें परिवर्तनकारी विचारों को बढ़ाने हेतु प्रबंधकीय व मानवीय कौशल में वृद्धि आवश्यक है। बाजार की आवश्यकता एवं भूमंडलीकृत विश्व की माँग एवं कार्पोरेट जगत के श्रम संसाधनों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं विकास द्वारा उच्च शिक्षा को उन्नत एवं समयानुकूल बनाया जा सकता है इस दृष्टि से प्रत्येक संस्थान में जीविका तथा परामर्श विभाग का सृजन कर युवकों को उच्च शिक्षा के लाभ से कैरियर निर्माण की ओर प्रेरित किया जा सकता है।

- उच्च शिक्षा के प्रति भविष्योन्मुखी दृष्टि के अंतर्गत वृहद स्तर पर शोध केंद्रों की स्थापना द्वारा नए विचारों के उद्‌भव एवं उनके कार्यरूप द्वारा ज्ञान आधारित भू-आर्थिक दुनियाँ में हम अपना झंडा बुलंद कर सकेंगे। डाक्टोरल अध्ययेतावृत्ति, शोध अनुदान, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन गोष्ठियाँ तथा सम्मेलनों का आयोजन अनिवार्य है। प्राध्यापकों एवं छात्रों को उच्च शोध सुविधा के अवसर मुहैया कराकर तथा उच्च कोटि के शोध कार्य में संलग्न व्यक्तियों हेतु शोध पुरस्कारों की व्यवस्था कर मनोबल को बढ़ाया जा सकता है।
- गुणवत्ता और क्षमता निर्माण करने वाली ज्ञान की क्रांति हमारे देश के 25 साल से कम आयु के 55 करोड़ युवाओं की मानवीय पूँजी को सामर्थ्यवान बना सकेगी। हमारा अनूठा जनसाँख्यिकीय लाभ जबरदस्त अवसर के साथ-साथ एक दुष्कर चुनौती भी पेश करता है। जिसके लिए एक-नए ज्ञानोन्मुखी प्रतिमान के निमित्त रचनात्मक कार्यनीतियों की जरुरत है। भविष्य में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए देश के ज्ञान संबंधी संसाधनों और बुनियादी तंत्र के सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से जून 2005 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय ज्ञान आयोग' की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय जन आयोग ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं जिनके व्यवहार्यता से उच्च शिक्षा की चुनौतियों के हल का अवसर प्रस्फुटित होगा।
- उच्च शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन व प्रभाव मूलक परिणामों की दृष्टि से प्रशासनिक संरचना में बदलाव की आवश्यकता है। आज उच्च शिक्षा के प्रशासनिक पद राजनीति के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। विगत वर्षों में कुलाधिपति-कुलपति विवाद, उच्च शैक्षिक संस्थानों के महत्त्वपूर्ण पदों पर राजनैतिक नियुक्तियाँ, बे-लगाम होती छात्र राजनीति ने उच्च शिक्षा की दशा और दिशा को प्रभावित किया है। इस संदर्भ में 'राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक आयोग' की स्थापना भविष्य के लिए सुखद साबित हो सकती है। शिक्षा के व्यय साध्य होने के कारण छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की अवधारणा जन्म ले चुकी है परंतु उनकी कठोर शर्तों व सरकारी औपचारिकता ने शिक्षार्थी के मनोबल को तोड़ा है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार **'राष्ट्रीय शैक्षिक वित्त आयोग'** की स्थापना भविष्य में करने हेतु प्रस्ताव ला रही

है जो शैक्षिक अवसरों को सुलभ बना सकेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-प्रबंधन तथा अध्यापक-प्रबंधन के बीच आए दिन बढ़ रहे विवादों के कारण उत्पन्न मुकदमेंबाजी को हल करने हेतु 'शैक्षिक ट्रिब्यूनल' की स्थापना की कार्यवाही भी सही साबित होगी। आज निजी व व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों ने डोनेशन एवं कैपिटेशन फीस के नाम पर गलत ढंग से छात्रों से राशि वसूल कर शिक्षा को व्यापार का रूप दे दिया है जिस पर लगाम लगाने हेतु कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है। यदि उपरोक्त नवविचारों को संस्थागत रूप देकर चुनौतियों पर विजय पाने के दृढ़ संकल्पित प्रयास किये जाए तो सफलता देर से ही सही परंतु अवश्य मिलेगी। शैक्षिक प्रशासकों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक निकायों का गठन तथा उन्हें कालबद्ध प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कार्यदक्षता को बढ़ाना भी एक प्रभावी कदम होगा।

निष्कर्ष

आज 21वीं सदी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियाँ उभरी हैं उन्होंने शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, विद्यार्थियों, योजनाकारों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं को चिंतन के लिए बाध्य किया है। आवश्यकता है चुनौतियों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर दीर्घकालीन नियोजन, राजनैतिक, प्रशासकीय दृढ़ इच्छाशक्ति, जनसहयोग और जनकल्याण की भावना से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन की। चिंतन में नवाचार एवं नई प्रविधियाँ, शैक्षिक प्रावधानों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध करा सकेंगे। 11वीं पँचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र का मसौदा भी हमारी उच्च शिक्षा की चुनौतियों से निपटने हेतु भविष्योंमुखी दृष्टिकोण पर आधारित है। नई वैचारिक क्रांति को व्यवहार्य रूप देकर विश्व शैक्षिक मंच पर हम नेतृत्व करने में सक्षम हो सकेंगे यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है।

संदर्भ

अग्रवाल जे.सी. 2007. *भारत में शिक्षा व्यवस्था का इतिहास,* शिप्रा पब्लिकेसंस, दिल्ली

चवन माधव, भारत को शिक्षा-कैसे? *योजना*, अगस्त 2007

शर्मा, शशिप्रभा 2008. *श्रेष्ठ निबंध,* अरिहंत पब्लिकेसंस, मेरठ

लोढ़ा, जितेंद्र कुमार, शिक्षा में गुणवत्ता का चिंतन, *दर्पण*, अप्रैल 2009

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की 11वीं पँचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र, मार्च 2007

शारदा, जितेंद्र 2003. *शिक्षा की समस्याएँ,* कृति प्रकाशन दिल्ली

सुमन, शिवमंगल सिंह, विश्वविद्यालय शिक्षा, *योजना,* जनवरी 2007